2 जून, 2020

भारतीय बैंक संघ

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज COVID-19 महामारी के संदर्भ में

-भुगतान जून 2020 के लिए @ रु 500

हम आपकी और आपकी सुरक्षा की परवाह करते हैं!

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा अप्रैल से जून 2020 के दौरान 500 रुपये प्रति माह की राशि की घोषणा की गई थी। दूसरा किस्त मई के महीने में महिला जनधन खाताधारकों के खाते में जमा हो चुकी है। और जून माह की तीसरा किस्त महिला जन धन योजना खाताधारकों के खाते में जमा की जा रही है।

चूंकि यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा रही है, इसलिए यह धनराशि सुरक्षित है।औरलाभार्थी अपने पैसे को अपनी सुविधानुसार दिए गए शेड्यूल के अनुसार निकाल सकते हैं।

यह सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए किया गया है। हम लाभार्थियों से अनुरोध करते हैं कि वे निकासी के लिए पड़ोस के एटीएम का उपयोग करें, (RuPay कार्ड का उपयोग करके), बैंक मितों, CSPs का उपयोग करें, और ₹: 2000/- नकद तक की निकासी के लिए POS मशीन का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से बैंकों की शाखाओं में संभावित भीड़ और संक्रमण फैलने के खतरा से बचने में मदद मिलेगी।

10 जून, 2020 के बाद, लाभार्थी अपनी सुविधानुसार किसी भी दिन किसी भी बैंक में पैसा निकाल सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि वर्तमान में, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 30 जून, 2020 तक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने का कोई शुल्क नहीं है।

कृपया सहयोग करें और सभी की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करें।

लाभार्थियों द्वारा धन की निकासी के लिए अनुसूची

यह सामाजिक दूरी बनाए रखने और लाभार्थियों द्वारा धन की निकासी के क्रम में, यह व्यवस्था की जा रही है।

इस संबंध में, लाभार्थी अपने खाता संख्या के अंतिम अंक के आधार पर अपनी सुविधानुसार निम्नलिखित दिशा-निर्देश अनुसूची का पालन करते हुए पैसे निकाल सकते हैं।

यदि आपके खाता संख्या के अंतिम अंक हैं 0 या 1	**5 जून, 2020 या 10 जून, 2020 के बाद किसी भी दिन निकाला जा सकता है।**
यदि आपके खाता संख्या के अंतिम अंक हैं 2 या 3	**6 जून, 2020 या 10 जून, 2020 के बाद किसी भी दिन निकाला जा सकता है।**
यदि आपके खाता संख्या के अंतिम अंक हैं 4 या 5	**8 जून, 2020 या 10 जून, 2020 के बाद किसी भी दिन निकाला जा सकता है।**
यदि आपके खाता संख्या के अंतिम अंक हैं 6 या 7	**9 जून, 2020 या 10 जून, 2020 के बाद किसी भी दिन निकाला जा सकता है।**
यदि आपके खाता संख्या के अंतिम अंक हैं 8 या 9	**10 जून, 2020 या 10 जून, 2020 के बाद किसी भी दिन निकाला जा सकता है।**

सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें!

सभी सदस्य बैंकों की ओर से आईबीए द्वारा जनहित में जारी।

कोरोनावायरस के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय

सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 1 मीटर की दूरी आवश्यक है।

उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण जैसे फेस मास्क, दस्ताने आदि का उपयोग करें।

अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं।

यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम 60% अल्कोहॉलमिश्रित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें।

आंखों, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथ धो लें।

उपयोग किए गए कागज़ टिशू को उपयोग के तुरंत बाद बंद डिब्बे में फेंक दें।

छींकते और खांसते समय रूमाल / कागज़ टिशू के साथ नाक और मुंह को कवर करें।

सामूहिक सभा और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें।

Avoid Walk-in Start Login

- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विकल्पों का उपयोग करें RTGS, NEFT।
- इंटरनेट बैंकिंग।
- मोबाइल बैंकिंग समाधान।
- आमने-सामने की बैठक को कम से कम करें।
- उधार लेने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।
- मुद्रा के बजाय भुगतान के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग।

Bank on our safety tips

Website: www.iba.org.in // Twitter/@Chiefiba & @Chairmaniba // WTC, 6th Floor, Cuffee Parade, Mumbai-5

आपकी बेहतर सेवा करने के लिए हमारी मदद करें।